

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-13-7/रा.स./यू.ए.1/05/566

राजमदन भोपाल - 462 052
दिनांक 23 मई, 2020

प्रति,

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा प्रो० पवन कुमार खरे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय को संकायाध्यक्ष श्रेणी से विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

सही/-
(अभव रमा)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक/अका./2020/5283
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर दिनांक 19-06-2020

1. प्रो० पवन कुमार खरे, आचार्य, भौतिकशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. राज्यपाल के उप सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
3. समस्त संकायाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रधान।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीय विकास परिषद्, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

प्र० कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर